न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 21/2016/(2016/00080) अजमेर

अजयदीप सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह निवासी ग्राम पो0 न्यारा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 04–09–2015 अनुज्ञा पत्र संख्या 19/83

————

उपस्थितः 1– श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता स्व0 भगवान सिंह जो कि ग्राम न्यारा में जागीरदार होकर सरपंच रहा था तथा जिन्हें जिला कलक्टर एवं अन्य द्वारा समय–समय पर सम्मानित भी किया गया जिनको अपने विरोधियों से आत्मरक्षा एवं जंगली जानवरों से रक्षार्थ एक अनुज्ञा पत्र 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 37339 बाबत अनुज्ञा पत्र संख्या 19/83 जारी किया गया जो खानदानी बन्दूक होकर कस्टमरी रूप से पूजनीय है जिसका कभी दुरूपयोग नहीं किया गया। अपीलार्थी के पिता को जारी अनुज्ञा पत्र का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाता रहा है। अपीलार्थी के पिता का निधन दिनांक 29–8–2013 को हो जाने पर अपीलार्थी ने उक्त खानदानी बन्दूक को फैमली हायर लूम पॉलिसी के तहत अपने नाम नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर उन्होंने समस्त जांच

रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में होने के बावजूद भी कारण रहित आदेश दिनांक 4–9–2015 से प्रार्थी को सूचित किये बिना अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 4–9–2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष अपीलार्थी को बहस एवं सुनवाई करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि उनके समक्ष समस्त जांच रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 4–9–2015 पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23–9–2016 कों हुई। तत्पश्चात उक्त आदेश की नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 19–10–2016 को नकल प्राप्त हुई इस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 21–10–2016 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसमें उक्त शस्त्र का कभी कोई दुरूपयोग किया गया हो अथवा लोक शांति भंग की गई हो अथवा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी विभाग ने नेगेटिव रिपोर्ट दी हो बल्कि उक्त शस्त्र अपीलार्थी का खानदानी होकर पूजनीय है जिससे अपीलार्थी की पारिवारिक भावना जुड़ी हुई है तथा समस्त प्रकार कीजांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की अनुशंषा की गई है फिर भी जिला मजिस्ट्रेट ने कारण रहित नॉन स्पीकिंग आदेश पारित कर अपने आदेश दिनांक 4–9–2015 से शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी काश्तकारी व्यक्ति है तथा अपने आजीविका के लिए ट्रेक्टर द्वारा जगह–जगह मजदूरी के ठेके लेकर कार्य करता है तथा अपीलार्थी अधिकांश समय जंगलों में तथा निर्जल स्थानों पर रहना पड़ता है इन परिस्थितियों में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिये जाने से अपीलार्थी को स्वयं की सुरक्षा हेतु जंगली जानवरों तथा अपराधियों से सुरक्षा करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2015 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा आर्म्स लाईसेंस प्राप्त करने हेतु तरह–तरह के कारण बताये किन्तु कोई सबूत पेश नहीं किया तथा कहीं शस्त्र को पूजनीय, कहीं ठेका कहीं विरोधियों से रक्षा करने का उल्लेख किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र शस्त्र प्राप्ति हेतु उल्लेखित कारण संतोषजनक नहीं होने के कारण खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 04–09–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी ने उसके पिता स्व0 श्री भगवान सिंह के नाम से जारी एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 19/83, 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 37339 को अपने पिता की मृत्यु दिनांक 29–8–2013 को हो जाने के

कारण उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु को दो भागों में विभक्त किया जावे। प्रथमतः (1) नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिए अपीलार्थी के द्वारा आवेदन की आवश्यकता एवं अपीलार्थी की पात्रता, एवं (2) **Family heirloom policy** के तहत शस्त्र का हस्तांतरण (Transfer)। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. शस्त्र हेतु अनुज्ञा के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा यह दर्शाना आवश्यक होता है कि किस कारण हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 12 '' शस्त्र की आवश्यकता में केवल स्वयं की रक्षार्थ व स्व0 पिता को शस्त्र प्राप्त करने बाबत ही अंकन किया गया है, किन्तु किस कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/2013/23142 दिनांक 20–12–2013 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में 6 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में ''**भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो अथवा Family heirloom policy के तहत हो तो उसका भी परीक्षण कर रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया जावे।**'' के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी।

   जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक प0के0/नवीन शस्त्र/2013/70 दिनांक 09–08–2014 से उक्त सबंध में प्रेषित बिन्दुवार रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में केवल **Family heirloom policy** के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बिन्दु संख्या 6 की शेष रिपोर्ट जो ''**भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो** '' के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है जो उचित नहीं है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली की आदेशिका पैरा एन/21 की निरन्तरता के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि **''शस्त्र प्राप्ति की आवश्यकता में स्वयं की रक्षा का पर्याप्त कारण न होने से खारिज। सूचित करे।**

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा विरोधियों एवं जगली जानवरों से स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि किसी विरोधी अथवा जंगली

जानवर ने अपीलार्थी पर हमला किया हो तथा अपीलार्थी को किसी असामाजिक तत्व द्वारा कोई धमकी दी हो जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हो बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/शस्त्र/2015/15263 दिनांक 04–09–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर